मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

क्र.एफ-1/42/04-पी.एम.यू./514 भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः-जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनिवार्यतः पालन (परिपत्र क्र.18)

....

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 4 सितम्बर, 2010 (परिपत्र क्र. 16) द्वारा प्रदेश में जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । परिपत्र क्र. 16 की प्रतिलिपि संलग्न है तथा यह परिपत्र संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश की वेबसाइट. ***http://dif.mp.gov.in/ppp_Circulars.htm*** पर भी उपलब्ध है ।

विगत दिवस समीक्षाओं में यह देखने में आया है कि अनेक विभागों तथा उनके अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा पी.पी.पी. परियोजनाओं के संबंध में

निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है । विशेषत:, परियोजनाओं की सैद्वांतिक सहमति (In-principle approval) प्राप्त किए बिना Request for Qualification (RfQ) एवं Request for Proposal (RfP) जारी करना तथा निविदायें आमंत्रित करने के उपरान्त परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने जैसी विसंगतियाँ देखने में आयी हैं ।

पी.पी.पी.परियोजनाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) की दिनांक 17 जनवरी, 2011 को संपन्न हुयी तृतीय बैठक में मुख्य सचिव ने इस प्रकार की विसंगतियों तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा निर्देशित किया है कि पी.पी.पी. परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कियान्वयन में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनिवार्यत: पालन किया जाए ।

इस परिप्रेक्ष्य में, शासन के समस्त विभागों से अनुरोध है कि राज्य में पी.पी.पी. परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनिवार्यत: पालन सुनिश्चित किया जाए । इस विषय में किसी भी जानकारी अथवा मार्गदर्शन हेतु संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश अन्तर्गत पी.पी.पी. सेल से संपर्क किया जा सकता है ।

संलग्नक:-परिपत्र क्रमांक 16

(जी.पी.सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग

क्र.एफ-1/42/04-पी.एम.यू./515 भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयेग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल /जबलपुर/ इंदौर/ ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप-महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. समस्त प्रबंध संचालक, म.प्र शासन के सार्वजनिक उपक्रम /मंडल
15. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
16. समस्त आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका म.प्र ।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण ।

(नीतेश व्यास)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र शासन वित्त विभाग